

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक:-नि०वि०-2/03/24

दिनांक :- 5-4-19

कार्यालय आदेश

प्रायः यह पाया गया है कि खण्डीय लेखाकार / लेखाधिकारी संवर्ग के अवकाश प्रार्थना-पत्र खण्डीय लेखाकारों / लेखाधिकारियों द्वारा समय से खण्ड कार्यालय को प्रस्तुत न किये जाने अथवा खण्ड कार्यालय से इस कार्यालय को देरी से अग्रसारित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय में समय से प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही समय पूर्व नहीं हो पाती है।

अतः एतद्वारा सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश प्रार्थना-पत्रों को समय से इस कार्यालय में अग्रसारित करें, जिससे प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश-नि०वि०-2/03/683 दिनांक 04-06-2018 निर्गत किया गया था।

उप महालेखाकार / डी0ए0सी0सी0

पत्रांक:-नि०वि०-2/03/25-26

दिनांक :- 5-4-19

प्रतिलिपि : 1. समस्त खण्डीय लेखाकार / लेखाधिकारी संवर्ग एवं समस्त संबन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।

2. लेखाधिकारी / आई0टी0सी0सी0, कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-प्रथम इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश संलग्नक सहित वैबसाइट AGUP D.A./D.A.O. Cadre पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

लेखाधिकारी / नि0वि0-2